**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 3219**
**गुरूवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण,1947(शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## अमृतसर के लिए कृषि उड़ान योजना

**3219. श्री गुरजीत सिंह औजला:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृतसर में रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्र/कृषि उत्पादन क्षेत्र होने के बावजूद कृषि उड़ान योजना को सक्रिय रूप से लागू न करने के क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार का स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के निर्यातकों के लिए विशेष प्रोत्साहन या हवाई माल-ढुलाई सब्सिडी शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या यह सच है कि किसानों की आय बढ़ाने, जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और पंजाब की कृषि-अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए अमृतसर को कृषि-निर्यात केंद्र बनाना इस पहल का उद्देश्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन सी विशिष्ट योजना बनाई गई है?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

**(क) से (घ)** कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य आठ मंत्रालयों/विभागों नामतः नागर विमानन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों को एकीकृत करना है। इस योजना का उद्देश्य देश के विशेषकर पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले बागवानी उत्पाद, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पादों सहित सभी कृषि-उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और संबंधित लॉजिस्टिक सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार हो।

हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, कृषि उड़ान योजना के तहत चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय मालवाहकों और पी2सी (यात्री-से-कार्गो) वायुयान के लिए लैंडिंग शुल्क और पार्किंग शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चयनित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) हवाई अड्डों पर रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) और टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) माफ कर दिए गए हैं।

यह योजना देश के 58 हवाई अड्डों को कवर करती है, जिनमें अन्य क्षेत्रों के 33 हवाई अड्डों के अलावा मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के 25 हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के तहत पंजाब का अमृतसर हवाई अड्डा भी शामिल है।

******